बी.पी.अग्रवाल और अन्य

बनाम

धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड एवं अन्य

(सिविल अपील सं. 922/2002)

25 जनवरी, 2008

[ डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

आदेश XLI, नियम 1(3) - धन डिक्री के खिलाफ अपील - स्थगन के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया - उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को निर्दिष्ट समय के भीतर ट्रायल कोर्ट में धन जमा करने का निर्देश दिया – अभिनिर्धारित किया: स्थगन के लिए किसी भी आवेदन के अभाव में, उच्च न्यायालय आदेश पारित नहीं कर सकता था - तदनुसार जमा करने का निर्देश रिक्त।

उच्च न्यायालय ने सीपीसी के आदेश XLI नियम 1(3) के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता को एक विशेष समय के भीतर ट्रायल कोर्ट में 5,00,000/- रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए आदेश एक्सएलआई के नियम 1 के उप-नियम (3) के तहत जमा के संबंध में दिए गए निर्देश का अनुपालन न करने पर न्यायालय डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाने से इनकार कर

देगा। ऐसे गैर-अनुपालन के लिए डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाने के आवेदन को खारिज किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय ऐसे गैर-अनुपालन के लिए अपील को खारिज करने का निर्देश नहीं दे सकता है। [पैरा 4] [30-ई, एफ]

यदि अपीलकर्ता अपील के लंबित रहने के दौरान डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाने या अंतरिम राहत के माध्यम से किसी आदेश के लिए प्रार्थना करता है; न्यायालय किसी भी शर्त को लगाने के लिए स्वतंत्र है जो वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित और उचित समझे।

अन्यथा धन जमा करने की शर्त लगाना, जिसके तहत अपील को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए स्वीकार किया जा सकता है, कानूनी रूप से उचित नहीं है और ऐसे आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 5] [31-ई, एफ]

कयामुद्दीन शमसुद्दीन खान बनाम. भारतीय स्टेट बैंक (1998) 8 एससीसी 676 और देवी थिएटर बनाम विश्वनाथ राजू (2004) 7 एससीसी 337 - संदर्भित।

2. मौजूदा मामले में ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि भुगतान न करने की स्थिति में अपील खारिज कर दी जाए। स्थगन के लिए किसी आवेदन के अभाव में उच्च न्यायालय विवादित आदेश पारित नहीं कर सकता था।

तदनुसार दिए गए जमा के निर्देश निरस्त किए जाते हैं। [पैरा 6] [31-एफ, जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 922/2002

ए.एस. न. 48/2001 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 7.6.2001 के अंतिम निर्णय और आदेश से।

बीवी दीपक (मैसर्स टी.टी.के. दीपक एवं अन्य) के लिए

के.वी. मोहन (के.आर. नांबियार के लिए) उत्तरदाताओं के लिए

न्यायालय निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. इस अपील में चुनौती केरल उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को दी गई है। आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने सी.पी.सी. के आदेश एक्सएलआई नियम 1(3) के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है। प्रक्रिया, 1908 (संक्षेप में 'सीपीसी') ने अपीलकर्ता को एक विशेष समय के भीतर ट्रायल कोर्ट में 5,00,000/- रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता इस आधार पर आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाते हैं कि उच्च न्यायालय स्थगन के लिए किसी भी आवेदन के अभाव में आदेश XLI नियम 1(3) का उल्लेख नहीं कर सकता था।

2. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया।

3. निर्विवाद रूप से, 'वर्तमान मामले में ऐसा नहीं था स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। प्रासंगिक होने के कारण इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

4. कयामुद्दीन शम्सुद्दीन खान बनाम में भारतीय स्टेट बैंक [1998 (8) एससीसी 676] आदेश XLI नियम 1(3) से संबंधित विवाद में यह माना गया कि यदि राशि जमा नहीं की जाती है, तो अपील को खारिज करने का निर्देश दिया जा सकता है। जाहिर तौर पर संदर्भ ऑर्डर XLIII नियम 5(5) का था। पैराग्राफ 6 और 8 में इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

"6. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान महाराष्ट्र राज्य में संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता में आदेश XLI के नियम 1 के उप-नियम (3) की ओर आकर्षित किया है, जो इस प्रकार है:-

"(3) जहां अपील पैसे के भुगतान की डिक्री के खिलाफ है, अपीलकर्ता, अपीलीय न्यायालय द्वारा अनुमति दिए गए समय के भीतर, अपील में विवादित राशि जमा करेगा या उसके संबंध में ऐसी सुरक्षा प्रस्तुत करेगा जैसा न्यायालय उचित समझे:

बशर्ते कि न्यायालय जमा या सुरक्षा से छूट दे सकता है जहां वह पर्याप्त कारण के लिए ऐसा करना उचित समझे।

8. इसका मतलब यह होगा कि आदेश XLI के नियम 1 के उप-नियम (3) के तहत जमा के संबंध में दिए गए निर्देश का अनुपालन न करने पर न्यायालय डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाने से इनकार कर देगा। दूसरे शब्दों में, आवेदन के लिए ऐसे गैर-अनुपालन के लिए डिक्री के निष्पादन पर रोक को खारिज किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय ऐसे गैर-अनुपालन के लिए अपील को खारिज करने का निर्देश नहीं दे सकता है।"

इसी प्रकार, देवी थिएटर वि. विश्वनाथ राजू [2004 (7) एससीसी 337] इसे अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार देखा गया;

"5. अपीलकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि अपील मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी भी न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक डिक्री के खिलाफ है। प्रथम अपील में न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथ्यों के साथ-साथ कानून के प्रश्नों की जांच तक फैला हुआ है। हालाँकि यह सत्य है जैसा कि प्रतिवादी के विद्वान वकील ने बताया है कि आदेश 41 नियम 11 सीपीसी के तहत अदालत के लिए दाखिले के समय अपील को खारिज करना खुला होगा, लेकिन उस दृष्टिकोण से मामले की जांच करने पर भी हम यह पाया गया कि धारा 96 सीपीसी के तहत दायर अपील को स्वीकार करने के सवाल पर विचार करते समय अदालत, प्रथम

दृष्टया योग्यता के आधार पर पूर्ण सुनवाई के लिए उपयुक्त समझी गई अपील को स्वीकार कर सकती है। अन्यथा, यदि उसे पता चलता है कि अपील में योग्यता नहीं है, तो इसे प्रारंभिक चरण में ही खारिज किया जा सकता है। लेकिन अपील की स्वीकृति, कुछ निश्चित राशि जमा करने की शर्त के अधीन, आदेश 41 नियम 11 सीपीसी के साथ पढ़ी गई धारा 96 के तहत निहित प्रावधान में परिकल्पित नहीं है। पैसे जमा करने का स्पष्ट रूप से मामले की योग्यता से कोई संबंध नहीं होगा, जो अकेले ही धारा 96 सीपीसी के तहत दायर अपील को स्वीकार करने या न करने का आधार होगा। इसके अलावा, यह शर्त लगाने से कि राशि जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप अपील खारिज हो जाएगी, सशर्त प्रवेश के आदेश में दुर्बलता जुड़ जाती है।

6. यह एक अलग मामला है, यदि अपीलकर्ता अपील के लंबित रहने के दौरान डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाने या अंतरिम राहत के माध्यम से किसी आदेश के लिए प्रार्थना करता है; अदालत किसी भी शर्त को लागू करने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझ सकती है। अन्यथा धन जमा करने की शर्त लगाना जिसके अधीन अपील को योग्यता के आधार पर सुनवाई के लिए

स्वीकार किया जा सकता है, कानूनी रूप से नहीं है उचित है और इस तरह का आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता।"

6. मौजूदा मामले में ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि भुगतान न करने की स्थिति में अपील खारिज कर दी जाए। स्थगन के लिए किसी आवेदन के अभाव में उच्च न्यायालय विवादित आदेश पारित नहीं कर सकता था। तदनुसार दिए गए जमा के निर्देश निरस्त किए जाते हैं।

7. अपील की अनुमति प्रदान की गई, लेकिन खर्चे के संबंध में किसी भी आदेश के बिना।

बी.बी.बी.

अपील की अनुमति प्रदान की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अजय गोदारा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।